न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।

दिनांकः– 05/06/2026

यह प्रार्थना पत्र अभियुक्त सचिन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुकदमा अपराध सं0 203/2026, अंतर्गत धारा– 87, 137(2) बी०एन०एस०, थाना मौरावां जिला उन्नाव, के प्रकरण में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। अभियुक्त जिला कारागार में निरूद्ध है।

अभियुक्त द्वारा स्वंय को निर्दोष, झूठा व रंजिशन फंसाये जाने, घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी न होने तथा अभियुक्त का कोई आपराधिक इतिहास न होने के आधार पर जमानत की याचना की गई है।

अभियोजन अधिकारी की आख्या के अनुसार मुकदमा अपराध सं0 203/2026, अंतर्गत धारा– 87, 137(2) बी०एन०एस०, थाना मौरावां जिला उन्नाव, में अभियुक्त सचिन न्यायिक अभिरक्षा में है। अपराध गंभीर एवं गैर जमानतीय प्रकृति का एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। जमानत का विरोध किया गया है।

अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान अभियोजन अधिकारी को सुना, उपलब्ध प्रपत्रों का अवलोकन किया।

अभियुक्त पर अध्यारोपित अपराध गंभीर एवं गैर जमानतीय प्रकृति का एवं माननीय सत्र न्यायालय द्वारा परीक्षणीय है। मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में अभियुक्त के जमानत आधार अपर्याप्त है।

आदेश

अभियुक्त सचिन की ओर से मुकदमा अपराध सं० 203/2026, अंतर्गत धारा– 87, 137(2) बी०एन०एस०, थाना मौरावां जिला उन्नाव, में प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

न्यायिक मजिस्ट्रेट पुरवा, उन्नाव।